

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

परियोजना समिति की 168 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

परियोजना समिति की 168 वीं बैठक प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2022 को मध्याह्न पश्चात् 4:00 बजे बोर्ड कक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे:-

1. श्री कुंजी लाल मीणा अध्यक्ष  
प्रमुख शासन सचिव,  
नगरीय विकास विभाग,  
राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्री पवन अरोड़ा, सदस्य  
आवासन आयुक्त,  
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. श्री आर.के.विजयवर्गीय सदस्य  
मुख्य नगर नियोजक  
नगर नियोजन विभाग,  
राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. श्री के. सी. मीना, सदस्य  
मुख्य अभियन्ता-प्रथम व मुख्यालय  
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. श्री नत्थू राम सदस्य  
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम  
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. श्री विजय अग्रवाल सदस्य  
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय  
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. श्री संजय पूनिया सदस्य  
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय  
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. श्री सन्त सरन,  
वरिष्ठ नगर नियोजक,  
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

3/11/22

9. श्री अनिल माथुर,  
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक  
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

सदस्य-सचिव

सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही सभी उपस्थित सदस्यों व अन्य अधिकारियों का स्वागत करते हुये प्रारम्भ की गयी। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार विन्दुवार निर्णय लिये गये:-

एजेण्डा नं 1.	परियोजना समिति की 167वीं बैठक दिनांक 02.03.2022 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में।
निर्णय	समिति द्वारा परियोजना समिति की 167वीं बैठक दिनांक 02.03.2022 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।
एजेण्डा नं 2.	परियोजना समिति की 167वीं बैठक दिनांक 02.03.2022 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।
निर्णय	समिति द्वारा परियोजना समिति की 167वीं बैठक दिनांक 02.03.2022 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति का अवलोकन किया गया।
एजेण्डा नं 3	कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान के (B+G+5) के मानचित्र में संशोधन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 4	सेक्टर-16, प्रताप नगर योजना में निर्माणाधीन कोचिंग हब के Master Plan में आंशिक संशोधन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 5	सेक्टर-24, राज आंगन योजना (एन.आर.आई.), प्रताप नगर, जयपुर में Amenities-4 (South East) की प्लानिंग में संशोधन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 6	राज आंगन योजना, प्रताप नगर, जयपुर में स्काई पार्क योजना के नियोजन के अनुमोदन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 7	मानसरोवर आवासीय योजना के वाणिज्यिक भू-पट्टी-"बी", वी.टी. रोड के अनुमोदित मानचित्र में Mall / Multiplex के नियोजन हेतु संशोधन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार भूखण्ड के आकार को यथावत रखते हुए अरावली मार्ग एवं वीटी रोड के अतिरिक्त Fountain स्क्वायर एवं शिप्रा पथ की साइड में 12-12 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान करते हुए संशोधित मानचित्र का रेरा से रजिस्ट्रेशन करवाकर भूखण्ड का नीलामी द्वारा निस्तारण किया जाए।
एजेण्डा नं 8	मण्डल की आवासीय योजना निवाई में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (STP) हेतु आरक्षित भूमि को अन्यत्र स्थान पर आरक्षित करने बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 9	शाहपुरा आवासीय योजना, जिला भीलवाडा के ले-आउट प्लान में संशोधन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा नं 10	मुक्ता प्रसाद नगर आवासीय योजना, बीकानेर के सेक्टर-16 में ग्रुप हाउसिंग के नियोजन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् फ्लेटों में लिफ्ट का प्रावधान करते हुए (G+3) के स्थान पर (G+4) फ्लैट्स बनाने का निर्णय अनुसार संशोधित मानचित्र का अनुमोदन किया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

**अनिल माथुर**  
21/04/22  
(अनिल माथुर)  
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक  
सदस्य-सचिव,

क्रमांक:- अति.मु.न.नि./रा.आ.म./जयपुर/2022-23/.....२१

दिनांक : २१-४-२२

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ।

1. निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. निजी सचिव-मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

**अनिल माथुर**  
21/04/22  
(अनिल माथुर)  
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक